उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-41/3156/26-1-2013-4(14)/2012

लखनऊ : दिनांक : 13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री उमा शंकर शर्मा, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2004-05 में छात्रवृत्ति मद में प्रेषित की गयी धनराशि से संबंधित 19 बिन्दुओं के रजिस्टर में वॉछित प्रविष्टियॉ पूर्ण न कराने, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को भेजी गयी छात्रवृत्ति के सापेक्ष अवशेष धनराशि को संबंधित शिक्षण संस्थाओं से वापस मॅगाकर राजकोष में जमा न कराने, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से खोले गये 07 बैंक खातों में जमा शासकीय धनराशि का उपयोग न करने, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आहरित धनराशि से संबंधित पंजिका में पात्रता/अपात्रता का अंकन न कराने, कार्यालय अभिलेखों का व्यवस्थित ढंग से रख-रखाव न करने सहित कतिपय अन्य प्रशासकीय/वित्तीय अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3031/26-1-2010-4(8)/2009, दिनांक 26-07-2010 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्रीमती किरन श्रीवास्तव, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। प्रकरण में दिनांक 26-06-2010 को आरोप पत्र निर्गत किया गया, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध कुल 04 आरोप लगाये गये।

2- पूर्व नामित जॉच अधिकारी श्रीमती किरन श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-920/26-1-2012-4(8)/2009, दिनांक 18-04-2012 द्वारा प्रकरण में श्री जे0राम, उपनिदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 20-09-2012 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई, जिसमें अपचारी अधिकारी के ऊपर लगाये गये 04 आरोपों में से आरोप संख्या-1 पूर्णरूप से तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से सिद्ध बताया गया, जबकि आरोप संख्या-2 व 4 सिद्ध नहीं पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में जॉच आख्या की प्रति भेजते हुए शासन के पत्र दिनांक 26-10-2012 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया, जिसका उत्तर अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 21-11-2012 को प्रेषित किया गया।

3- प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिकथन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आरोप संख्या-1 जो कार्यालय अभिलेखों को पूर्ण न कराये जाने तथा आरोप संख्या-3 जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से पूर्व से बैंकों से संचालित बैंक खातों को जारी रखने तथा उन्हें बन्द कराने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से संबंधित है। आरोप संख्या-1 पूर्णरूप से तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से जॉच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाये गये है। सिद्ध पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा अपने तैनाती अवधि में कोई धनराशि प्रेषित नहीं की गयी, केवल वित्तीय वर्ष 2003-04 के 03 माह की धनराशि प्रेषित की गयी है। प्रेषित धनराशि से संबंधित 19 बिन्दु पंजिका भी पूर्ण करायी गयी तथा उपभोग प्रमाण-पत्रों का विवरण भी अंकित किया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी के उक्त कथन की पुष्टि अभिलेखों से नहीं हुई। इस प्रकार आरोप संख्या-1 अपचारी अधिकारी पर पूर्णरूप से सिद्ध होता है।

4- इसी प्रकार आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये आरोप संख्या-3 के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा कहा गया कि जनपद मुजफ्फरनगर में वह दिनांक 03-01-2004 से दिनांक 12-06-2004 तक ही कार्यरत रहा, इस प्रकार उसका कार्यकाल अत्यन्त अल्प अवधि का रहा है। उक्त कार्यकाल में जैसे ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से बैंकों में खाते संचालित होने की जानकारी प्राप्त हुई, उसके द्वारा अवैध खातों को बन्द कराये जाने का प्रयास किया

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। अपचारी अधिकारी द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही की पुष्टि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, मुजफ्फरनगर के अभिलेखों से नहीं हुई। इस प्रकार अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने का आरोप अपचारी अधिकारी पर सिद्ध होता है।

5- सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी की 03 वेतनवृद्धियॉ स्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किये जाने का निर्णय लेते हुए प्रस्तावित दण्ड पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-1207(ए)/26-1-2013-4(14)/2012, दिनांक 03-07-2013 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। मा0 आयोग की सहमति उनके पत्र संख्या-20/4/ए0डी0सी0/एस-4/2013-14, दिनांक 10-10-2013 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई, जिसमें शासन द्वारा निर्धारित किये गये दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी।

6- इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा की गयी उक्त अनियमितता/पदीय दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता/उदासीनता बरतने के लिए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त सहमति से उन्हें निम्नवत् दण्ड दिये जाते हैं:-

(1) अपचारी अधिकारी की 03 वेतनवृद्धियॉ स्थायी रूप से रोक दी जाय।

(2) अपचारी अधिकारी को निम्नवत् परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जाय-

"वित्तीय वर्ष 2004-05 में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पद पर तैनाती के दौरान छात्रवृत्ति मद में प्रेषित की गयी धनराशि से संबंधित 19 बिन्दुओं से संबंधित रजिस्टर की प्रविष्टियॉ पूर्ण न कराने, उपभोग प्रमाण-पत्रों का विवरण अंकित न कराने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से विभिन्न बैंकों में खुले 07 बैंक खातों को बन्द कराने हेतु सार्थक कार्यवाही/प्रयास न करने के लिए श्री उमा शंकर शर्मा, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर को एतद्द्वारा परिनिन्दित किया जाता है।"

उपरोक्तानुसार दण्ड अधिरोपित करते हुए अपचारी अधिकारी श्री उमा शंकर शर्मा, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3031/26-1-2010-4(8)/2009, दिनांक 26-07-2010 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-41/3156(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- उपसचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-20/4/एडीसी/एस-4/2013-14, दिनांक 10-10-2013 के संदर्भ में।
4- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर/मथुरा।
5- कोषाधिकारी, मथुरा।
6- श्री उमाशंकर शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
7- गार्ड फाइल/इंटरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in